

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 23/2026

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री रवि यादव पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार (विक्रेता एवं मालिक), मैसर्स डोलची विटा, खसरा नम्बर 3133/3127, सामला की ढाणी, कहारों का चौराहा, पुष्कर जिला अजमेर।
2. मैसर्स डोलची विटा, खसरा नम्बर 3133/3127, सामला की ढाणी, कहारों का चौराहा, पुष्कर जिला अजमेर।

.....अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 व 63 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं 1 श्री रवि यादव

—: आदेश :-

दिनांक— 22.04.2026

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने बिना अनुज्ञापत्र अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) दही का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 63 में जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, मौका फर्द, प्रपत्र 5ए, कैंश मीमो, प्रपत्र 6 की जमा करवाने की प्रति, विक्रेता को दिया गया नोटिस, जाँच रिपोर्ट, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अभियोजन स्वीकृति बाबत पत्र, अभियोजन स्वीकृत पत्र की प्रतियाँ संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 02.11.2025 को 02:00 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स डोलची विटा, खसरा नम्बर 3133/3127, सामला की ढाणी, कहारों का चौराहा, पुष्कर जिला अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री रवि यादव मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा जो



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

उसके पास मौके पर उपलब्ध नहीं था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय भगोने में लगभग 6-7 किलोग्राम दही आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई मिली। उक्त दही में मिलावट का शक होने पर उनमें से नमूना जाँच हेतु 800 ग्राम दही रु. 120/- रूपयें श्री रवि यादव को नगद देकर गवाह श्री राजेश त्रिपाठी के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री रवि यादव को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा दही को चार साफ खुली प्लास्टिक की बोतल में बराबर बराबर मात्रा में भरकर, प्रत्येक बोतल में 16-16 बूंद फार्मेलीन की डालकर एयर टाइट ढक्कन लगाकर चार नमूने तैयार कर विक्रेता के सामने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए-5478 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जापते में लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने में से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को स्वयं जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को स्वयं जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं नै जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/9226 दिनांक 24.11.2025 के संलग्न प्राप्त खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस/1666/एक्ट/2025/1686 दिनांक 12.11.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच विक्रय किया गया दही अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। विक्रेता द्वारा द्वितीय जाँच अपील प्रस्तुत नहीं की गयी। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय में दिनांक 13.03.2026 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 13.03.2026 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी को अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं 1 श्री रवि यादव ने उपस्थित होकर लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया एवं बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। अप्रार्थी ने निवेदन किया कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट में उनके संस्थान से लिये गये दही अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। उन्होंने निवेदन किया कि फ़ैट के अनुपात में परिवर्तन के कारण उक्त नमूना अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है, जो कि जानबूझकर नहीं किया गया है तथा उक्त प्रकरण को गम्भीरता से लिया जाकर आवश्यक सुधार कर लिये गये हैं तथा उच्च गुणवत्ता जाँच का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि जिस दही का नमूना लिया गया था, उसके उनके द्वारा बाहरी विक्रेता से विक्रय किया गया था। वर्तमान में उच्च गुणवत्ता का दही उपभोग/उपयोग कर रहे हैं। अतः न्यूनतम/कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमने लिखित प्रत्युत्तर, पत्रावली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद का अवलोकन किया एवं बहस में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद के संलग्न जाँच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया दही में Milk Fat निर्धारित मानक के अनुसार नहीं पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा मानक (फूड प्रोडक्ट स्टेण्डर्ड



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

तथा फूड एडिटिव) मानक 2011 के मानक सं 2.1.13 के विपरीत होने से उक्त दही अधिनियम की धारा 3(1)(a)(zx) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत बिना अनुज्ञापत्र के अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ पाये जाने पर तथा धारा 63 में बिना अनुज्ञापत्र के खाद्य पदार्थ का विक्रय करने पर शास्ति रोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया है, अतः अप्रार्थी को न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 63 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर कुल रु. 10,000/- (दस हजार) शास्ति-आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 22.04.2026 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 22.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ज्योति ककवानी)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2026/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाएँ जोन अजमेर।
4. श्री रवि यादव पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार (विक्रेता एवं मालिक), मैसर्स डोलची विटा, खसरा नम्बर 3133/3127, सामला की ढाणी, कहारों का चौराहा, पुष्कर जिला अजमेर।
5. मैसर्स डोलची विटा, खसरा नम्बर 3133/3127, सामला की ढाणी, कहारों का चौराहा, पुष्कर जिला अजमेर।



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर